[2020] 11 एस सी आर 117

परवेज नूरदीन लोखंडवाला

वी.

महाराष्ट्र राज्य और ए. एन. आर.

(2020 की आपराधिक अपील संख्या 648)

1 अक्टूबर, 2020

[डॉ. धनंजय वाई चंद्रचूड़ और

इंदिरा बनर्जी, जे. जे.]

दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 एस. एस. 437 , 439 जमानत-लगाई गई शर्तों की प्रकृति-विदेश यात्रा का अधिकार-2014 में अपीलार्थी के खिलाफ जालसाजी का आरोप लगाते हुए दर्ज की गई प्राथमिकी-अपीलार्थी को अंततः 2020 में गिरफ्तार किया गया-उच्च न्यायालय ने अपीलार्थी को आठ सप्ताह के लिए सशर्त अंतरिम जमानत दी-हालाँकि, उसे अमेरिका जाने की अनुमति देने के लिए लगाई गई शर्तों में ढील देने से इनकार कर दिया-आयोजितः जमानत देने के लिए अदालत द्वारा लगाई जाने वाली शर्तों को आपराधिक न्याय के प्रवर्तन में अभियुक्त के अधिकारों के साथ सार्वजनिक हित को संतुलित करना होता है-लगाई गई शर्तों का ऐसी शर्तों को लागू करने के उद्देश्य से आनुपातिक संबंध होना चाहिए-अपीलकर्ता एक भारतीय नागरिक है और उसके पास एक भारतीय पासपोर्ट है-अपीलकर्ता और शिकायतकर्ता के बीच बड़ी मात्रा में मुकदमेबाजी लंबित है-अपीलकर्ता ने 2015 और 2020 के बीच नियमित रूप से सोलह मौकों पर अमेरिका और भारत के बीच यात्रा की है-उच्च न्यायालय का यह विचार कि उसका भारत के साथ कोई संपर्क नहीं है, रिकॉर्ड पर मौजूद सामग्री के विपरीत है-उसके खिलाफ दर्ज की गई प्राथमिकी को खुद में उसे अमेरिका की यात्रा करने से नहीं रोकना चाहिए, जहां वह 1985 से निवासी है, विशेष रूप से जब गंभीर हो।

ग्रीन के अमान्य होने के संदर्भ में परिणाम सामने आएंगे

कार्ड यदि उसे यात्रा करने की अनुमति नहीं थी-अपीलार्थी को आठ सप्ताह के लिए अमेरिका की यात्रा करने की अनुमति दी गई थी, बशर्ते कि वह प्रस्तुत करने का वचन दे। निर्देशित दंड संहिता, 1860-एस. एस. 420 , 467 , 468 , 469 , 470 , 471 और 474।

अपील का निपटारा करते हुए, न्यायालय ने

पकड़नाः 1.1 दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 437 (3) की भाषा जो "कोई भी शर्त. अन्यथा" अभिव्यक्ति का उपयोग करती है। इस अदालत के कई फैसलों में न्याय के हित का अर्थ लगाया गया है। यद्यपि सक्षम न्यायालय को दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 437 (3) और 439 (1) (ए) के तहत जमानत देने के लिए "कोई भी शर्त" लगाने के लिए अपने विवेकाधिकार का प्रयोग करने का अधिकार है, लेकिन न्यायालय के विवेकाधिकार को प्रशासन को सुविधाजनक बनाने की आवश्यकता द्वारा निर्देशित किया जाना चाहिए।

न्याय के लिए, अभियुक्त की उपस्थिति सुनिश्चित करें और यह सुनिश्चित करें कि अभियुक्त की स्वतंत्रता का दुरुपयोग बाधा डालने के लिए नहीं किया जाता है

2015 और 2020 के बीच सोलह बार। उन्होंने भारत के साथ घनिष्ठ संपर्क बनाए रखा है। उच्च न्यायालय का यह विचार कि उनका भारत के साथ कोई संपर्क नहीं है, अभिलेख की सामग्री के विपरीत है। जमानत देने के लिए अदालत जो शर्तें लगाती है-इस मामले में अस्थायी जमानत-उन्हें अभियुक्त के अधिकारों के साथ आपराधिक न्याय के प्रवर्तन में सार्वजनिक हित को संतुलित करना होता है। गरिमा का मानव अधिकार और संवैधानिक सुरक्षा उपायों का संरक्षण उन शर्तों को लागू करने से भ्रामक नहीं होना चाहिए जो अभियुक्त की उपस्थिति, जांच के उचित पाठ्यक्रम और अंततः एक निष्पक्ष सुनवाई सुनिश्चित करने की आवश्यकता के अनुरूप नहीं हैं। अदालत द्वारा लगाई गई शर्तों का शर्तों को लागू करने के उद्देश्य के साथ आनुपातिक संबंध होना चाहिए। जोखिम की प्रकृति जैसा कि इस मामले में मांगी गई अनुमति के अनुदान द्वारा प्रस्तुत किया जाता है, प्रत्येक मामले में सावधानीपूर्वक मूल्यांकन किया जाना चाहिए। जहाँ तक प्रतिभूतियों को प्रस्तुत करने का संबंध है, यह निर्देश पर कहा गया है कि उच्च न्यायालय के निर्देशों का पालन किया गया है। के संबंध में

अपीलार्थी के समर्पण के बाद, न्यायालय को इस तथ्य से अवगत कराया गया है कि कोविड-19 के प्रकोप के कारण हुए लॉकडाउन के परिणामस्वरूप, न्यायिक पक्ष में उच्च न्यायालय ने 26 मार्च 2020,15 अप्रैल 2020 और 15 जून 2020 को अपने अंतरिम आदेशों को बढ़ाने के लिए लगातार आदेश पारित किए। इस बीच, अपनी ईमानदारी स्थापित करने के लिए, अपीलार्थी

यह बताता है कि उन्होंने जल्दी सुनवाई के लिए लगातार उच्च न्यायालय का रुख किया था, जबकि संशोधन के लिए एक आई. ए. की स्थापना की थी

19 मई 2020 को लागू की गई शर्तें और, अंततः, यह परवेज नॉर्डीन लोखंडवाला बनाम पर थी।

महाराष्ट्र राज्य और ए. एन. आर.

इस न्यायालय का निर्देश कि उच्च न्यायालय ने विवादित पारित किया

आदेश दें। [पैरा 21,23] [133-एफ-एच; 134-ए-जी]

1.3 उसे अस्वीकार करने का कोई कारण या औचित्य नहीं है

यदि अपीलार्थी को यात्रा करने की अनुमति नहीं दी गई थी तो यह ग्रीन कार्ड के अमान्य होने के संदर्भ में होगा। अभिलेख इंगित करता है कि अपीलार्थी और शिकायतकर्ता के परिवार के बीच बड़ी मात्रा में मुकदमेबाजी। इसके बावजूद या शायद इसके कारण,

शिकायत और एफ. आई. आर. दर्ज होने के बाद भी अपीलार्थी ने अक्सर अमेरिका और भारत के बीच यात्रा की है। संशोधन के लिए आवेदन को उच्च न्यायालय द्वारा गलत तरीके से खारिज कर दिया गया था और अपीलार्थी को आठ सप्ताह की अवधि के लिए अमेरिका की यात्रा करने की अनुमति दी जानी चाहिए थी। अपीलार्थी को ऐसा करने की अनुमति है, बशर्ते वह यात्रा की तारीख से पहले इस न्यायालय को एक वचन दे कि

वह आठ सप्ताह की अवधि की समाप्ति के बाद भारत लौट आएगा और वह आपराधिक क्षेत्राधिकार के न्यायालय के समक्ष सुनवाई की सभी तिथियों पर उपलब्ध होगा, जब तक कि व्यक्तिगत अपराधों से विशेष रूप से छूट न दी जाए।

उपस्थिति। इस न्यायालय में शपथ पत्र प्रस्तुत किया जाएगा -

अपीलार्थी यात्रा करता है। आगे के निर्देश जारी किए गए। [पैरा 24] [135-ए-डी]

कुणाल कुमार तिवारी बनाम। बिहार राज्य (2018) 16 एस. सी. सी. 74; दाताराम सिंह बनाम। उत्तर प्रदेश राज्य (2018) 3 एस. सी. सी. 22 [2018] 1 एस. सी. आर. 882; सुमित मेहता बनाम। राज्य (दिल्ली का राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र) (2013) 15 एस. सी. सी. 570: [2013] 10 एससीआर 125; बरुण चंद्र ठाकुर बनाम। 2019 की आपराधिक अपील संख्या 1618 में सर्वोच्च न्यायालय का रायन ऑगस्टीन पिंटो निर्णय दिनांक 21.10.2019; गणपति रामनाथ बनाम बिहार राज्य आपराधिक अपील सं. 1 में उच्चतम न्यायालय का निर्णय। 1187 2004 का; के. मोहम्मद बनाम द स्टेट ऑफ केरल सुप्रीम कोर्ट का निर्णय दिनांक 02.03.2020 आपराधिक अपील संख्या में। 547 2012 का; तरुण त्रिखा बनाम राज्य

उच्चतम न्यायालय का पश्चिम बंगाल का निर्णय दिनांकित 29.05.2015 सी. आर. एल. के खिलाफ अपील करने के लिए विशेष अनुमति। नं.

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

2015 ; पीतम प्रधान बनाम सुप्रीम कोर्ट का स्टेट ऑफ ए. पी. निर्णय दिनांक 26.02.2014 अपील के लिए विशेष अनुमति (सी. आर. एल.) में नहीं। 9664 2013-पर भरोसा किया।

मामला कानून

संदर्भ

उस पर भरोसा करें

(2018) 16 एससीसी 74

पै

रा 15

[2018] 1 एससीआर 882

उस पर भरोसा करें

पै

रा 16

[2013] 10 एससीआर 125

उस पर भरोसा करें

पै

रा 17

आपराधिक अपील न्यायनिर्णयः आपराधिक अपील सं।

648 2020 से।

उच्च न्यायालय के 23.07.2020 दिनांकित निर्णय और आदेश से

एल. डी./वी. सी./आई. ए./258/2020 आई. एन. एल. डी./वी. सी./बी. ए./24/2020 में बॉम्बे में न्यायिक कार्य।

सुभाष झा, मनोज के. मिश्रा, सचिन पाटिल, राहुल चिटनिस, जियो

जोसेफ, अधिवक्ता। उपस्थित दलों के लिए।

न्यायालय का निर्णय इसके द्वारा दिया गया था

डॉ. धनंजय वाई. चंद्रचूड, जे.

1. छुट्टी दे दी गई।

2. यह अपील एकल न्यायाधीश के निर्णय और आदेश से उत्पन्न होती है।

बॉम्बे 1 में न्यायिक उच्च न्यायालय दिनांक 23 जुलाई 2020। उच्च न्यायालय ने अपने आदेश द्वारा, जो अपील में है, अपने पहले के आदेश में संशोधन करने से इनकार कर दिया। 19 मई 2020 का आदेश ताकि अपीलार्थी को 25 जुलाई 2020 से 6 सितंबर 2020 तक आठ सप्ताह की अवधि के लिए अमेरिका की यात्रा करने की अनुमति दी जा सके। अपीलार्थी ने ऐसा करने के लिए उच्च न्यायालय से अनुमति मांगी क्योंकि एक ग्रीन के रूप में

कार्ड धारक, उसके लिए उस देश से प्रस्थान करने की निर्धारित अवधि के भीतर अमेरिका लौटना अनिवार्य था, जिसमें विफल रहने के लिए शर्तें थीं ग्रीन कार्ड के पुनर्वैधीकरण को पूरा नहीं किया जाएगा। उच्च न्यायालय ने इस आधार पर अंतरिम जमानत देने के लिए उसके द्वारा लगाई गई शर्तों में ढील देने से इनकार कर दिया कि अपीलार्थी के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई है। हालाँकि जिस अवधि के दौरान अपीलार्थी ने विदेश यात्रा करने की मांग की थी, वह समाप्त हो गई है, लेकिन कारण बना हुआ है। अपील विदेश यात्रा करने के मौलिक अधिकार और इसके बीच अंतरफलक के बारे में दिलचस्प मुद्दों को उठाती है।

1 " उच्च न्यायालय "परवेज नॉर्डीन लोखंडवाला बनाम। महाराष्ट्र राज्य और ए. एन. आर. [डॉ. धनंजय वाई चंद्रचूड़, जे।]

जमानत के अनुदान को नियंत्रित करने वाली शर्तों को विनियमित करने के लिए एक घटना के रूप में न्यायिक आदेश के तहत कटौती।

3. वर्तमान मामले की उत्पत्ति एक निजी शिकायत से हुई है जो मेहराज राजाबली मर्चेंट द्वारा जनवरी 2014 में दायर की गई थी।

जे. एम. एफ. सी. ठाणे की अदालत ने आरोप लगाया कि अपीलार्थी ने अपने भाई शालिन लोखंडावाला के जाली हस्ताक्षर करके 19 दिसंबर 2011 को एक पावर ऑफ अटॉर्नी बनाया है। 10 अप्रैल 2014 को, जे. एम. एफ. सी. ने एक आदेश पारित किया, जिसके द्वारा उन्होंने निम्नलिखित निर्देशों के संदर्भ में दंड प्रक्रिया संहिता 1973 2 की धारा 156 (3) के तहत जांच का निर्देश दियाः

" 1. कपूरबावड़ी पुलिस स्टेशन को अपराध दर्ज करने का निर्देश दिया गया है।

और मामले की जांच करें।

2. इसके अलावा यह निर्देश दिया जाता है कि यदि कोई कार्रवाई हो तो अदालत के समक्ष रिपोर्ट प्रस्तुत की जाए। Cr.P.C "का s.340।

4. अपीलार्थी के खिलाफ 22 अप्रैल 2014 को एक प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज की गई थी जिसमें अपीलार्थी पर भारतीय दंड संहिता 1860 की धारा 420,467,468,469,470,471 और 474 के तहत दंडनीय अपराधों में शामिल होने का आरोप है। 5. अपीलार्थी और सह-अभियुक्त अरुण फतेहपुरिया ने सत्रों के समक्ष अग्रिम जमानत देने के लिए एक आवेदन दिया था।

अदालत ठाणे, जिसने 17 फरवरी 2018 को दोनों अभियुक्तों को गिरफ्तारी से अंतरिम संरक्षण प्रदान किया। 16 अप्रैल 2018 को ठाणे की सत्र अदालत ने अंतरिम आदेश की पुष्टि की और सह-आरोपी अरुण फतेहपुरिया को अग्रिम जमानत दी, मुख्य रूप से इस आधार पर कि शिकायत में आरोप काफी हद तक दस्तावेजी सामग्री पर निर्भर करते हैं।

हिरासत में पूछताछ अनावश्यक है। हालाँकि, अपीलार्थी की रक्षा करने वाले अंतरिम आदेश को रद्द कर दिया गया क्योंकि अपीलार्थी का प्रतिनिधित्व करने वाले वकील ने उसकी ओर से आवेदन वापस ले लिया था। 6. अपीलार्थी भारतीय नागरिक है और उसके पास भारतीय पासपोर्ट है। उसके पास ग्रीन कार्ड है, जिससे वह अमेरिका में रह सकता है। वह 1985 से अमेरिका में रह रहे हैं। हालाँकि, 10 मार्च 2015 और 10 जनवरी 2020 के बीच, अपीलार्थी ने सोलह मौकों पर भारत का दौरा किया, जिसका विवरण इन कार्यवाही में 7 अगस्त 2020 के एक हलफनामे पर दायर किया गया है। एक सारणीबद्ध चार्ट (शपथ पत्र के अनुलग्नक पी-3) में उनके यात्रा इतिहास का विवरण है, और इसे नीचे निकाला गया हैः

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

प्रस्थान तिथि

" श्री. नहीं। आगमन तिथि

मुंबई

1 .

10/3/2015

मुंबई

19/03/2015

मुंबई

2 .

मुंबई

3 .

21/4/2015

22/4/2015

मुंबई

4 .

मुंबई

7/5/2015

5 .

नई दिल्ली

6 .

10/5/2015

21/8/2015

मुंबई

7 .

मुंबई

8 .

24/8/2015

3/2/2016

नई

दिल्ली

9 .

11/2/2016

नई

दिल्ली

10 .

11 .

नई

दिल्ली

14/2/2016

नई

दिल्ली

12 .

24/2/2016

24/6/2016

मुंबई

13 .

मुंबई

28/7/2016

14 .

10/2/2017

नई

दिल्ली

15 .

4/5/2017

16 .

मुंबई

मुंबई

10/7/2017

17 .

18 .

15/7/2017

मुंबई

मुंबई

24/7/2017

19 .

मुंबई

9/8/2017

20 .

19/10/2017

मुंबई

21 .

22

.

मुंबई

3/11/2017

11/11/2017

23 .

भारत

(शहर नहीं

ज्ञात)

26/2/2018

मुंबई

24 .

1/6/2018

मुंबई

25 .

परवेज नॉर्डीन लोखंडवाला बनाम। महाराष्ट्र राज्य और ए. एन. आर. [डॉ. धनंजय वाई चंद्रचूड़, जे।]

भारत

(शहर नहीं

26 .

10/7/2018

ज्ञात)

27 .

26/9/2018

मुंबई

26/10/2018

मुंबई

28 .

मुंबई

29 .

22/11/2018

मुंबई

14/12/2018

30 .

31 .

4/4/2019

मुंबई

मुंबई

32 .

22/5/2019

33 .

10/1/2020

मुंबई

7. अपीलार्थी 10 जनवरी 2020 को भारत आया। उसे गिरफ्तार कर लिया गया।

21 फरवरी 2020 को मुंबई में प्रस्थान के बिंदु पर एक लुक आउट नोटिस के अनुसरण में जो 22 अप्रैल 2014 की प्राथमिकी के आधार पर जारी किया गया प्रतीत होता है। मार्च 2020 के पहले सप्ताह में सत्र अदालत में जमानत के लिए एक आवेदन दायर किया गया था, लेकिन 4 मार्च को खारिज कर दिया गया था।

मई 2020। 23 अप्रैल 2020 को, अपीलार्थी ने बॉम्बे में उच्च न्यायालय के समक्ष जमानत के लिए एक आवेदन दायर किया। उच्च न्यायालय ने 19 मई 2020 के अपने आदेश द्वारा अपीलार्थी को अस्थायी जमानत दे दी।

निम्नलिखित शर्तों के अनुसारः

" अ)

आवेदक को कुछ समय के लिए अस्थायी जमानत पर रिहा किया जाए।

2014 के सी. आर. सं.-156 में आठ सप्ताह के साथ पंजीकृत कपूरबावड़ी पुलिस स्टेशन, ठाणे ने अपने पी. आर.

रु. का बांड। 25,000 / - एक या अधिक प्रतिभूतियों के साथ राशि।

जब तक प्रतिभू प्रस्तुत करने की प्रक्रिया पूरी नहीं हो जाती, तब तक

ख)

आवेदक को नकद जमानत देने की अनुमति है। जेल से उसकी वास्तविक रिहाई से पहले, आवेदक को निर्देशित किया जाता है

(ग)

अपने पासपोर्ट और/या ग्रीन कार्ड को सरेंडर करने के लिए

संयुक्त राज्य अमेरिका जांच एजेंसी के साथ, यदि इसे पहले या अन्य सरकारी प्राधिकरणों द्वारा जब्त नहीं किया गया था।

जेल से रिहा होने के बाद, आवेदक को ऐसा न करने का निर्देश दिया जाता है

(घ)

ठाणे पुलिस आयुक्तालय के अधिकार क्षेत्र को छोड़ दें

विचारण न्यायालय की पूर्व अनुमति।

0] 11 एस सी आर।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

ई)

नियमित जमानत के लिए आवेदन नियमित जमानत से पहले रखें। न्यायालय के सामान्य कामकाज के बाद न्यायालय शुरू होता है।

8. 10 जून 2020 को, अपीलार्थी ने उच्च न्यायालय के समक्ष एक आई. ए. दायर कर आठ सप्ताह की अवधि के लिए अमेरिका जाने की अनुमति मांगी। द हाई

न्यायालय कोविड-19 के प्रकोप के कारण लागू लॉकडाउन के दौरान केवल तत्काल आवेदनों पर सुनवाई कर रहा था। उच्च न्यायालय की रजिस्ट्री ने उन्हें 15 जून 2020 को सूचित किया कि मामले में कोई तात्कालिकता नहीं पाई गई।

तत्काल सूचीकरण के लिए अभ्यास। अपीलार्थी ने 17 जून 2020 और 19 जून 2020 को तत्काल सूचीकरण के लिए नए आवेदन दायर किए। 26 जून 2020 को, एक एकल न्यायाधीश (न्यायमूर्ति एस. के. शिंदे) ने अंतरिम जमानत देने से जुड़ी शर्तों में ढील के लिए आई. ए. पर विचार करने में असमर्थता व्यक्त की क्योंकि 19 मई 2020 का आदेश न्यायमूर्ति ए. एस. गड़करी द्वारा पारित किया गया था। यह ध्यान दिया जा सकता है कि अपीलार्थी का तर्क रहा है कि अमेरिकी आप्रवासन और राष्ट्रीयता अधिनियम 1952 द्वारा निर्धारित शर्तों के तहत, उसे ग्रीन कार्ड को फिर से मान्य करने के लिए थोड़ी अवधि के लिए लौटना होगा। उनमें से निम्नलिखित हैं:

" (सी) संयुक्त राज्य अमेरिका में स्थायी निवास के लिए कानूनी रूप से भर्ती एक विदेशी को आप्रवासन कानूनों के उद्देश्यों के लिए संयुक्त राज्य अमेरिका में प्रवेश की मांग के रूप में नहीं माना जाएगा जब तक कि

विदेशी

((i) उस स्थिति को छोड़ दिया है या छोड़ दिया है, ((ii) लगातार अवधि के लिए संयुक्त राज्य अमेरिका से अनुपस्थित रहा है।

180 दिनों से अधिक में,

(iii) संयुक्त राज्य छोड़ने के बाद अवैध गतिविधि में शामिल हो गया है।

राज्यों,

(iv) कानूनी प्रक्रिया के दौरान संयुक्त राज्य अमेरिका से चला गया है।

इस अध्याय के तहत हटाने की कार्यवाही और प्रत्यर्पण सहित संयुक्त राज्य अमेरिका से विदेशी को हटाने की मांग कार्यवाही,

(v) इस शीर्षक की धारा 1182 (ए) (2) में पहचाने गए अपराध को किया है, जब तक कि इस तरह के अपराध के बाद से विदेशी को मंजूरी नहीं दी गई है।

इस शीर्षक की धारा 1182 (एच) या 1229 बी (ए) के तहत राहत, या आप्रवासन अधिकारियों द्वारा निर्दिष्ट समय या स्थान के अलावा किसी अन्य स्थान पर प्रवेश करने का प्रयास कर रहा है या संयुक्त राज्य में भर्ती नहीं किया गया है।
एक आप्रवासन अधिकारी द्वारा निरीक्षण और प्राधिकरण के बाद राज्य। परवेज नॉर्डीन लोखंडवाला बनाम।

महाराष्ट्र राज्य और ए. एन. आर. [डॉ. धनंजय वाई चंद्रचूड़, जे।]

9. उच्च न्यायालय ने 26 जून 2020 के अपने आदेश द्वारा संलग्न शर्तों में ढील देने के उनके अनुरोध पर विचार करने के लिए आवेदन को खारिज कर दिया।

अंतरिम जमानत देने के लिए जिसके बाद अपीलार्थी ने इस न्यायालय का रुख किया। 13 जुलाई 2020 के एक आदेश द्वारा, इस न्यायालय ने उच्च न्यायालय से अनुरोध किया कि वह अपीलार्थी द्वारा अमेरिका की यात्रा करने की अनुमति मांगने के लिए दायर आई. ए. पर जल्द से जल्द सुनवाई करे। इस न्यायालय ने 13 जुलाई 2020 के अपने आदेश में, अपने आदेश के पैराग्राफ 2 में अपीलार्थी के लिए विद्वान वकील की प्रस्तुति को नोट किया और फिर निम्नलिखित निर्देश जारी किएः

" 2. याचिकाकर्ता की ओर से पेश हुए विद्वान वकील श्री सुभाष झा ने कहा कि यदि याचिकाकर्ता 29 जुलाई 2020 तक अमेरिका नहीं पहुंच पाता है, तो वह अपना ग्रीन कार्ड बनाए रखने की स्थिति में नहीं होगा क्योंकि उसे अपने प्रस्थान के 180 दिनों के भीतर अमेरिका लौटने की आवश्यकता है और फिर उसकी स्थिति एक विदेशी की होगी।

संयुक्त राज्य अमेरिका में प्रवेश करने के लिए।

3. चूंकि याचिकाकर्ता द्वारा दायर अंतरिम आवेदन उच्च न्यायालय के समक्ष लंबित है, इसलिए हम उच्च न्यायालय से अनुरोध करते हैं कि ऊपर दर्ज की गई प्रस्तुतियों में निर्धारित समय सीमा को ध्यान में रखते हुए इसे जल्द से जल्द लिया जाए। हम स्पष्ट करते हैं कि चूंकि अंतरिम आवेदन अभी भी उच्च न्यायालय के समक्ष लंबित है, इसलिए हमने मामले के गुण-दोष पर कोई विचार व्यक्त नहीं किया है। प्रक्रिया को स्वीकार करने से इनकार करने वाले आदेश में निहित टिप्पणियां अंतरिम आवेदन के निपटारे के रास्ते में नहीं आएंगी। विशेष अनुमति याचिका तदनुसार है

निकाल दिया।

4. बम्बई उच्च न्यायालय की रजिस्ट्री, यदि आवश्यक हो, माननीय मुख्य न्यायाधीश के प्रशासनिक निर्देश प्राप्त कर सकती है

अंतरिम आवेदन का समनुदेशन "।

10. इस न्यायालय के आदेश के अनुसरण में, उच्च न्यायालय ने सुना

आई. ए. ने 23 जुलाई 2020 के अपने आदेश द्वारा अपीलार्थी को आठ सप्ताह की अवधि के लिए अमेरिका जाने की अनुमति देने से इनकार कर दिया है।

11. अपीलार्थी की ओर से उपस्थित विद्वान वकील श्री सुभाष झा प्रस्तुत करते हैं किः

((i)

अपीलार्थी 1985 से अमेरिका का निवासी है।

2010 से ग्रीन कार्ड और अमेरिका में कानून के किसी भी प्रावधान का उल्लंघन नहीं किया है; [2020] 11 एस. सी. आर.

अपीलार्थी और उसके परिवार के सदस्यों ने

((ख)

शिकायतकर्ता के खिलाफ दीवानी और आपराधिक दोनों प्रकृति के एक लंबे मुकदमे में शामिल;

(iii)

द्वारा शुरू की गई निजी शिकायत में

जनवरी 2014 में शिकायतकर्ता, सह-अभियुक्त को सत्र न्यायाधीश, ठाणे द्वारा इस आधार पर अग्रिम जमानत दी गई थी कि शिकायत अनिवार्य रूप से दस्तावेजों पर निर्भर करती है।

((iv)

2015 और 2020 के बीच, अपीलार्थी ने भारत का दौरा किया है।

सोलह बार;

अपीलार्थी का परिवार, जिसमें वह और उसका भाई शामिल हैं

(v)

शालिन और दो बहनें संयुक्त रूप से ठाणे और पनवेल में 100 करोड़ रुपये से अधिक की संपत्तियों के मालिक हैं और अपीलार्थी

परिवार का एकमात्र सदस्य जो देखभाल कर रहा है

मुकदमेबाजी;

(vi)

न्याय से भगोड़ा होने के बजाय, अपीलार्थी ने

लगातार भारत की यात्रा करते रहे और केवल निजी शिकायत दर्ज करने और प्राथमिकी दर्ज करने से उन्हें अमेरिका की यात्रा करने से रोका नहीं जा सकता, ऐसा न करने पर उन्हें अपने ग्रीन कार्ड को अमान्य करने के गंभीर परिणाम भुगतने पड़ेंगे।

(vii) जबकि दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 439 के तहत जमानत देने वाली अदालत शर्तें लगा सकती है।

जो मुकदमे का सामना करने के लिए अभियुक्त की उपस्थिति सुनिश्चित करते हैं, शर्तों को अभियुक्त की स्वतंत्रता को संतुलित करना चाहिए और इसके परिणामस्वरूप आजीविका के अधिकार से मनमाने ढंग से वंचित नहीं होना चाहिए; और

(viii) 10 अप्रैल 2014 के जे. एम. एफ. सी. के आदेश को बिना किसी समझदारी के नियमित पाठ्यक्रम के रूप में पारित किया गया है और एक विरोधी के कहने पर अपीलार्थी को परेशान करने और गिरफ्तार करने के लिए पुलिस तंत्र द्वारा इसका दुरुपयोग किया गया है।

12. श्री झा ने आगे कहा कि अपीलकर्ता यह कार्य करेगा

इससे पहले आपराधिक मामलों की हर सुनवाई पर मैं भारत आता हूँ

उसने अदालतों में हस्तक्षेप किया और उसका कानून की प्रक्रिया से बचने का कोई इरादा नहीं है। हा ने कहा है कि इस अदालत द्वारा जारी नोटिस के अनुसरण में,

भोजन परोसा गया है।

13. दूसरी ओर, श्री सचिन पाटिल, विद्वान वकील उपस्थित हुए।

महाराष्ट्र राज्य का आधा भाग, जो परवेज नूरदीन लोखंडवाला बनाम के अनुसरण में उपस्थित हुआ।

महाराष्ट्र राज्य और ए. एन. आर. [डॉ. धनंजय वाई चंद्रचूड़, जे।]

इस न्यायालय द्वारा 29 जुलाई 2020 को जारी नोटिस में कहा गया है कि अपीलार्थी का आचरण अनुचित रहा है। श्री पाटिल ने कहा कि 2018 में सत्र अदालत द्वारा अग्रिम जमानत दिए जाने पर, अपीलकर्ता बिना अनुमति लिए अमेरिका के लिए रवाना हो गया, हालांकि वास्तव में, वह बाद में 2020 तक कई मौकों पर भारत लौट आया।

गिरफ्तार कर लिया गया। यह आग्रह किया गया था कि अपीलार्थी ने उन शर्तों का पालन नहीं किया है जिन पर उसे आठ सप्ताह के लिए अंतरिम जमानत दी गई थी और उसे

उन्होंने, लेकिन अवधि समाप्त होने के बाद आत्मसमर्पण नहीं किया है। श्री पाटिल ने प्रस्तुत किया कि चूंकि अपीलकर्ता आपराधिक मुकदमे का सामना कर रहा है, इसलिए न्यायालय मुकदमे की प्रक्रिया में तेजी ला सकता है, लेकिन इस स्तर पर उसे अमेरिका जाने की अनुमति नहीं दे सकता है; उसकी वापसी की कोई गारंटी नहीं है।

14. सी. आर. पी. सी. की धारा 437 (3) की भाषा जो "कोई भी शर्त. अन्यथा न्याय के हित में" अभिव्यक्ति का उपयोग करती है, इस अदालत के कई फैसलों में समझी गई है। यद्यपि सक्षम न्यायालय सी. आर. पी. सी. की धारा 437 (3) और 439 (1) (ए) के तहत जमानत देने के लिए "कोई भी शर्त" लागू करने के लिए अपने विवेकाधिकार का प्रयोग करने के लिए सशक्त है, अदालत के विवेकाधिकार को सुविधा प्रदान करने की आवश्यकता से निर्देशित किया जाना चाहिए।

न्याय का प्रशासन, अभियुक्त की उपस्थिति को सुरक्षित करना और यह सुनिश्चित करना कि अभियुक्त की स्वतंत्रता का दुरुपयोग जाँच में बाधा डालने, गवाहों को भयभीत करने या न्याय के मार्ग में बाधा डालने के लिए न हो। कई इस न्यायालय के निर्णय उन शर्तों की प्रकृति पर आधारित हैं जिन्हें जमानत और अग्रिम जमानत दोनों के संदर्भ में वैध रूप से लगाया जा सकता है।

15. कुणाल कुमार तिवारी बनाम बिहार राज्य में, अपीलार्थी

जिन पर धारा 498-ए के तहत अपराध करने का आरोप लगाया गया था,

341 , 323 , 379 आई. पी. सी. की धारा 34 और दहेज निषेध अधिनियम 1961 की धारा 3 और 4 के साथ पठित 506 को उच्च न्यायालय द्वारा अग्रिम जमानत देने से इनकार कर दिया गया था। हालांकि, उच्च न्यायालय ने निर्देश दिया कि यदि अपीलकर्ता अपनी पत्नी के साथ गरिमा और देखभाल के साथ व्यवहार करने को तैयार है, लेकिन वह उसके साथ रहने से इनकार करती है या दोनों पक्ष आपसी सहमति से तलाक लेना पसंद करते हैं, तो निचली अदालत अपीलार्थी को अस्थायी जमानत पर रिहा कर देगी। निचली अदालत को एक साल के बाद अस्थायी जमानत की पुष्टि करने की अनुमति दी गई थी और पक्षकारों के बीच संबंधों की निगरानी करने का निर्देश दिया गया था, जो हर बार उसके सामने पेश होंगे। तीन महीने। इस न्यायालय ने यह अभिनिर्धारित करते हुए कि उच्च न्यायालय द्वारा जमानत देने पर लगाई गई शर्तें कठोर और मनमाना थीं, टिप्पणी कीः

" 9. ..... धारा 437 (3) का उपखंड (सी) न्यायालयों को न्याय के हित में ऐसी शर्तें लागू करने की अनुमति देता है। हम जानते हैं कि

स्पष्ट रूप से इस तरह के शब्द व्यापक अर्थ को स्वीकार करने में सक्षम हैं।

5 (2018) 16 एससीसी 74 [2020] 11 एस. सी. आर.

लेकिन ऐसी शर्तें मनमाना, काल्पनिक या प्रावधान के अंत से परे नहीं हो सकती हैं। धारा 437 (3) के उपखंड (सी) के तहत उपयोग किए गए वाक्यांश 'न्याय का हित' का अर्थ है "अच्छा"।

न्याय का प्रशासन "या" परीक्षण प्रक्रिया को आगे बढ़ाना "और

व्यापक अर्थ को शामिल करने से बचना चाहिए क्योंकि

उद्देश्यपूर्ण व्याख्या।

10. ..... आक्षेपित आदेश के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि

और बेतुके हैं। इस तरह की कठिन अग्रिम जमानत की शर्तें अलग हैं और कानून की नजर में इन्हें कायम नहीं रखा जा सकता है। ऐसा प्रतीत होता है कि लगाई गई शर्तों का न्याय के अच्छे प्रशासन या मुकदमे की प्रक्रिया को आगे बढ़ाने के साथ कोई संबंध नहीं है, बल्कि यह एक अति-उत्साही अभ्यास है। आपराधिक न्याय प्रणाली के उद्देश्य की घोर अवहेलना। उपरोक्त को ध्यान में रखते हुए, उच्च द्वारा पारित विवादित आदेश

न्यायालय को दरकिनार कर दिया जाता है और इस न्यायालय द्वारा याचिकाकर्ता को दिए गए अंतरिम संरक्षण को पूर्ण बना दिया जाता है। "

16. दाताराम सिंह बनाम उत्तर प्रदेश राज्य के मामले में, यह न्यायालय

वेद किः

" 7 .... जमानत देना या अस्वीकार करना पूरी तरह से विवेकाधिकार के भीतर है।

मामले की सुनवाई करने वाले न्यायाधीश का और हालांकि वह विवेकाधिकार है

निर्बाध रूप से, इसका प्रयोग विवेकपूर्ण और मानवीय रूप से किया जाना चाहिए

तरीके से और करुणा से। इसके अलावा, जमानत देने की शर्तें इतनी सख्त नहीं होनी चाहिए कि वे अनुपालन करने में असमर्थ हों, जिससे जमानत की मंजूरी को भ्रामक बनाना "।

17. सुमित मेहता बनाम। राज्य (एन. सी. टी. दिल्ली) ', सी. आर. पी. सी. की धारा 438 (2) के तहत राज्यों के संदर्भ में, इस न्यायालय ने कहा कि

अभियुक्त और अभियुक्त के अधिकारों के बीच समझौता किया जाना चाहिए।

पर शर्तों को लागू करते हुए आपराधिक न्याय प्रणाली को मजबूत करना

जमानत नहीं मिल सकतीः

" 11. संहिता की धारा 438 के तहत शक्ति का प्रयोग करते हुए, न्यायालय व्यक्ति की व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार और पुलिस की जांच के अधिकार के बीच संतुलन बनाने के लिए बाध्य है। उसी के लिए, धारा

438 (1) के तहत राहत देते समय, धारा 438 (2) के तहत उचित शर्तें लगाई जा सकती हैं ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि

ख) 3 एस. सी. सी. 22

3) 15 एस. सी. सी. 570 परवेज नॉर्डीन लोखंडवाला बनाम। महाराष्ट्र राज्य और ए. एन. आर. [डॉ. धनंजय वाई चंद्रचूड़, जे।]

जांच या मुकदमे की निष्पक्षता या औचित्य, नहीं हो सकता है कानून के तहत अनुमेय रूप से मान्य। अतः विवेकाधिकार

अदालत को शर्तों को लागू करते समय अधिकतम प्रयोग किया जाना चाहिए

संयम रखें "।

इस न्यायालय ने न्यायालय के विवेकाधिकार के दायरे पर भी चर्चा की

जमानत देने पर "कोई भी शर्त" अधिरोपित करना और कहाः

" 15. प्रावधान में उपयोग किए गए शब्दों "किसी भी शर्त" को किसी न्यायालय को पूर्ण शक्ति प्रदान करने के रूप में नहीं माना जाना चाहिए। कोई भी शर्त लागू करें जिसे वह लागू करने का विकल्प चुनता है। कोई भी शर्त है

तथ्यों में स्वीकार्य एक उचित शर्त के रूप में व्याख्या की जाए परिस्थितियों में अनुमेय और व्यावहारिक अर्थों में प्रभावी

और जमानत देने के आदेश को विफल नहीं करना चाहिए।

18. बरुण चंद्र ठाकुर बनाम। रयान ऑगस्टीन पिंटो ', यह

अदालत ने एक शर्त को बहाल किया जिसमें कहा गया था कि प्रतिवादी विदेश यात्रा के लिए एक सक्षम अदालत से पूर्व अनुमति ले। यह शर्त, जो मूल रूप से उच्च न्यायालय द्वारा अग्रिम जमानत देते समय लगाई गई थी, बाद में इसे हटा दिया गया था। इस न्यायालय ने निम्नलिखित कियाः

अभियुक्त के यात्रा करने के अधिकार पर प्रतिबंध लगाने के संबंध में टिप्पणियांः

" 9. ..... यात्रा करने के अधिकार से कोई इनकार नहीं किया जा सकता है।

विदेश एक मूल्यवान है और व्यक्तिगत अधिकार का एक अभिन्न अंग है।

स्वतंत्रता। समान रूप से, हालांकि, पहले सुरक्षित करने की पूर्व शर्त

विदेश यात्रा करने से पहले अनुमति एक महत्वपूर्ण घटक है जो

निस्संदेह अनुदान के लिए एक शर्त के रूप में उत्कीर्ण किया गया था

अग्रिम-इस मामले में जमानत। ..... सबसे अच्छा, तलाश करने की शर्त

विदेश यात्रा करने से पहले अनुमति को विनियमित किया जा सकता था,

पूरी तरह से नहीं हटाया गया। "

19. इस न्यायालय ने पहले कई आदेश पारित किए हैं

अभियुक्त को विदेश यात्रा करने के लिए जमानत पर रिहा कर दिया गया। गणपति रामनाथ बनाम बिहार राज्य 'में, इस न्यायालय ने एक अभियुक्त-आवेदक को चिकित्सा उपचार के लिए विदेश यात्रा करने की अनुमति दी, अपने पहले के जमानत आदेश को संशोधित करते हुए, यह देखते हुए कि आवेदक

8 2019 की आपराधिक अपील संख्या 1618 (एस. एल. पी. (सी. आर. एल.) से उद्भूत) 2019 का सं. 9873), दिनांक 21 अक्टूबर 2019 का आदेश।

9 सीआरएलएमपी। नं. 6304 & 6305/2017 आपराधिक अपील सं। 1187/2004 , दिनांक 4 मई 2017 का आदेश।

0] 11 एस सी आर।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

अदालत की अनुमति से छह मौकों पर चिकित्सा आवश्यकता के आधार पर विदेश की यात्रा की थी और लौट आया था। के. मोहम्मद बनाम केरल राज्य 1 0 में, इस न्यायालय ने अभियुक्त-अपीलार्थी को अनुमति दी - पारिवारिक स्थिति की आवश्यकताओं में मिलने के लिए विदेश यात्रा करें। तरुण त्रिखा बनाम पश्चिम बंगाल राज्य में, इस न्यायालय ने अभियुक्त याचिकाकर्ता को अपनी नौकरी के संबंध में इंडोनेशिया की यात्रा करने और काम पूरा होने के बाद लौटने की अनुमति दी। पीतम प्रधान बनाम एपी 1 2 के मामले में, इस न्यायालय ने अग्रिम जमानत देते हुए याचिकाकर्ता को विदेश यात्रा करने की अनुमति दी, यह देखते हुए कि उसकी नौकरी के लिए उसे बार-बार विदेश यात्रा करने की आवश्यकता होती है और अगर उसे विदेश यात्रा करने की अनुमति नहीं दी जाती है तो वह अपनी नौकरी खो सकता है।

20. की ओर से उपस्थित विद्वान वकील को सुनकर

अपीलार्थी और महाराष्ट्र राज्य के विद्वान वकील के लिए, न्यायालय के लिए यह शुरू में नोटिस करना आवश्यक है कि अपीलार्थी और शिकायतकर्ता, मेहराज राजाबली मर्चेंट के बीच बड़ी मात्रा में मुकदमेबाजी लंबित है। अपीलार्थी ने 7 अगस्त 2020 के अपने शपथ पत्र में पक्षों के बीच मुकदमे के साथ-साथ आपराधिक अभियोजन का विवरण प्रस्तुत किया है। इसे एक सारणीबद्ध कथन में संक्षेपित किया गया है:

निपटान

Sr.No। अदालत और मामला

पार्टियाँ

तिथि

सुश्री लोखंडवाला का वजन। निपटाया गया

सिविल एस. डी. अदालत,

1 .

ब्रिज बनाम मेसर्स असम

ठाणे

आर. सी. एस./200577/2005

परिवहन

फिरदौस राजाबली मर्चेंट 08/10/2010

4 सिविल न्यायाधीश जे. एम. एफ. सी.

2 .

बनाम फरीदा फिरोज

ठाणे आर. सी. सी./420380/2010

लोखंडवाला

1 सेंट सीजे मजिस्ट्रेट, ठाणे फिरदौस राजाबली

3 .

0

3/01/2014

मर्चेंट बनाम परवेज

CR.MA/300998/2013

नूर लोखंडवाला

4 संयुक्त सिविल न्यायाधीश सीनियर फिरोज पीरभाई लोखंडवाला। 16/09/2016

4 .

बनाम नूरुद्दीन पीरभाई

डिवीजन, ठाणे

लोखंडवाला

आरसीएस/201541/2001

10 आपराधिक अपील सं। 547/2012 , दिनांक 2 मार्च 2020 का आदेश। 11 सी. आर. एल. पर अपील करने के लिए विशेष अनुमति। नं. 4643/2015 , 29 मई 2015 का आदेश। 12 अपील के लिए विशेष अनुमति (सी. आर. एल.) सं. 9664 / 2013 , दिनांक 26 फरवरी 2014 का आदेश।

परवेज नॉर्डीन लोखंडवाला बनाम। महाराष्ट्र राज्य और ए. एन. आर. [डॉ. धनंजय वाई चंद्रचूड़, जे।]

जोड़ें। जिला. न्यायाधीश, ठाणे मेहराज राजाबली मर्चेंट 25/01/2020

5 .

सिविल एमए/286/2019

बनाम।

1. परवेज नूर

लोखंडवाला

2. फरीदा नूर

लोखंडवाला

3. फैज़मीन अमीन

हस ऐन

4. दीनाज़ अकबर

5. शालिन नूर

लोखंडवाला

6. अरुण फतेहपुरिया

7. फिरदौस रजब अली

व्यापारी

8. नगरपालिका कॉमरेड। में से

ठाणे

II. लोखंडवालों द्वारा शुरू किए गए मामले (निपटाए गए)

निपटान

तिथि

Sr.No।

अदालत और मामला

पार्टियाँ

परवेज नूर। लोखंडवाला 07/01/2013

4 सिविल न्यायाधीश एस. डी.

1 .

बनाम फिरदौस राजाबली

ठाणे

व्यापारी

आरसीएस/200143/2011

2 .

जिला और सत्र

शालिन नूर। लोखंडवाला 11/08/2015

अदालत, ठाणे

बनाम।

सिविल एमए/100012/2008

हिंदुस्तान पेट्रोलियम

2 संयुक्त सिविल न्यायाधीश

3 .

फरीदा नूर। लोखंडवाला 22/01/2019

Vs.Farida फिरोज

एसडी, ठाणे

लोखंडवाला

आरसीएस/201901/2012

4 संयुक्त सिविल न्यायाधीश

फरीदा नूर। लोखंडवाला 13/09/2019

4 .

Vs.Farida फिरोज

एस. डी., ठाणे एसपी.

लोखंडवाला

मामला/200905/2012

III. व्यापारियों (सक्रिय) द्वारा शुरू किए गए मामले

सीनियर कोर्ट एंड केस

पार्टियाँ

स्टेज

अ

गली तारीख

नहीं।

फिरदौस राजाबली तर्क 3.8.2020

1 .

2 द्वितीय संयुक्त न्यायाधीश, सीनियर।

मर्चेंट बनाम।

डिवीजन, ठाणे

फरीदा फिरोज

एसपी. मामला/200393/2010

लोखंडवाला

[2020] 11 एस. सी. आर.

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

2 सिविल जज, जे. डी.,

आदेश दें

2 .

फिरदौस राजाबली मर्चेंट बनाम।

10.8.2020

जे. एम. एफ. सी, ठाणे -

1. परवेज एन. लोखंडवाला

विविध। क्र. आवेदन

2. फरीदा एन. लोखंडवाला

799/2017

8th जिला। न्यायाधीश

मेहराज राजाबली मर्चेंट बनाम।

नोटिस दें।

3 .

19.08.2020

1. परवेज नूर। लोखंडवाला

तैयार नहीं।

एम. सी. ए./10/2020

2. फरीदा नूर। लोखंडवाला

3. फैज़मीन अमीन हुसैन

4. दीनाज़ अकबर

5. शालिन नूर। लोखंडवा ला

7. फिरदौस राजाबली मर्चेंट

8. ठाणे नगर निगम।

कमिश्नर

मेहराज राजाबली मर्चेंट बनाम।

ठहरने की फाइल

19.8.2020

4 .

5 न्यायालय संयुक्त सिविल

न्यायाधीश सीनियर।

डिव. , ठाणे सिविल

1. परवेज नूर। लोखंडवाला

एमए/200687/2015

2. फरीदा नूर। लोखंडवाला

3. फैज़मीन अमीन हुसैन

4. दीनाज़ अकबर

7. फिरदौस राजाबली मर्चेंट्स

8. ठाणे नगर निगम।

कमिश्नर

9. गणेश हनुमान औती

10. संजय साल्वी

11. अमरजीत सिंह धारी

फरीदा फिरोज लोखंडवाला बनाम फरीदा नोटिस

5 .

सिविल जज सीनियर

19.8.2020

डिवीजन, ठाणे सिविल

नूर लोखंडवाला

एमए/200404/2015

सबूत

6 .

मेहराज राजाबली मर्चेंट बनाम।

3.9.2020

5 न्यायालय संयुक्त सिविल

परवेज नूरुद्दीन लोखंडवाला

न्यायाधीश, सीनियर डिवीजन, ठाणे

आर. सी. एस./200566/2013

मेहराज राजाबली मर्चेंट बनाम।

समन

17/09/2020

7 .

3 आरडी संयुक्त सिविल न्यायाधीश

परवेज नूर लोखंडवाला

सीनियर डिवीजन, ठाणे

एसपी. मामला/424/2017

IV. लोखंडवाला (सक्रिय) द्वारा शुरू किए गए मामले

स्टेज

अग

ली तारीख

श्री.

अदालत और मामला

पार्टियाँ

नहीं।

1 .

4 संयुक्त सिविल न्यायाधीश

19/08/2020

फरीदा नूर।

तर्क

लोखंडवाला

सीनियर डिवीजन, ठाणे

बनाम फरीदा परवेज नॉर्डीन लोखंडवाला बनाम। महाराष्ट्र राज्य और ए. एन. आर. [डॉ. धनंजय वाई चंद्रचूड़, जे।]

सिविल एमए/200315/2015 फिरोज

लोखंडवाला

ए. एस. एच. पर आर्ग।

फरीदा एन.

2

4/09/2020

2 .

1 सेंट सी. जे. एम., ठाणे क्रि

तैयार नहीं।

लोखंडवाला

M.A./91/2014

राजाबली

व्यापारी और ओआरएस।

V. विविध मामले

सीनियर कोर्ट एंड केस

स्टेज

अ

गली तारीख

पार्टियाँ

नहीं।

1 . सुप्रीम कोर्ट एसएलपी

तर्क

12/08/2020

परवेज एन.

(

अस्थायी)

लोखंडवाला

(सी. आर. एल) नं.

3420/2020

बनाम राज्य

एसएलपी (सी. आर. एल.)

महाराष्ट्र

No.3034/2020

2 . उच्च न्यायालय

प्रेसीप

परवेज एन.

तर्क

लोखंडवाला

एल. डी./वी. सी./बी. ए./24-2020

प्र

सारित

0

6/08/2020

बनाम राज्य

महाराष्ट्र

(

अस्थायी)

3 . उच्च न्यायालय

खोज रहे हैं।

संशोधन

परवेज एन.

लोखंडवाला बनाम।

सं

चरण

एएसडीबी-एलडी-वीसी

की स्थिति

2020 का सं. 102

साथ में

महाराष्ट्र और ओआरएस

डब्ल्यू. पी./891/2018

21. निजी शिकायत जो वर्तमान की उत्पत्ति है

कि, वास्तव में, किसी भी समय पावर ऑफ अटॉर्नी का उपयोग नहीं किया गया है; उनका भाई उस समय भारत में मौजूद था जब वाहन का परिवहन किया गया था। में प्रवेश किया; और यह कि उनके भाई ने कभी कोई आपत्ति नहीं जताई है। हालाँकि, हम वर्तमान स्तर पर इन तथ्यात्मक पहलुओं में जाने के लिए इच्छुक नहीं हैं। यह ध्यान देने योग्य होगा कि सह-अभियुक्त को 16 अप्रैल 2018 को सत्र न्यायाधीश ठाणे द्वारा जमानत दी गई थी। हमें केवल यह तय करने के लिए कहा जाता है कि क्या अपीलार्थी को आठ सप्ताह के लिए अमेरिका की यात्रा करने की अनुमति दी जानी चाहिए। इस मुद्दे का मूल्यांकन करते समय, हमें आरोपों की प्रकृति, अपीलार्थी के आचरण और सबसे बढ़कर, यह सुनिश्चित करने की आवश्यकता को ध्यान में रखना चाहिए कि वह [2020] 11 एस. सी. आर.

अभियोजन से बचने का जोखिम नहीं है। अपीलार्थी द्वारा न्यायालय को दिए गए विवरण से संकेत मिलता है कि उसने नियमित रूप से सोलह मौकों पर अमेरिका और भारत के बीच यात्रा की है।

2015 और 2020 के बीच। उन्होंने भारत के साथ घनिष्ठ संपर्क बनाए रखा है। उच्च न्यायालय का यह विचार कि उनका भारत के साथ कोई संपर्क नहीं है, अभिलेख की सामग्री के विपरीत है। वर्तमान मामले के तथ्यों में एफ. आई. आर. दर्ज करना अपीलार्थी की अपने ग्रीन कार्ड को फिर से मान्य करने के व्यवसाय में भाग लेने के लिए आठ सप्ताह के लिए अमेरिका की यात्रा पर रोक नहीं होनी चाहिए। जमानत देने के लिए अदालत जो शर्तें लगाती है-इस मामले में अस्थायी जमानत-उन्हें अभियुक्त के अधिकारों के साथ आपराधिक न्याय के प्रवर्तन में सार्वजनिक हित को संतुलित करना होता है। गरिमा का मानवाधिकार और संवैधानिक सुरक्षा उपायों का संरक्षण उन शर्तों को लागू करने से भ्रामक नहीं होना चाहिए जो अभियुक्त की उपस्थिति, जांच के उचित पाठ्यक्रम और अंततः एक निष्पक्ष सुनवाई सुनिश्चित करने की आवश्यकता के अनुरूप नहीं हैं। ऐसी शर्तें जो

न्यायालय द्वारा अधिरोपित शर्तों को अधिरोपित करने के उद्देश्य के लिए आनुपातिक संबंध होना चाहिए। उत्पन्न जोखिम की प्रकृति

इस मामले में मांगी गई अनुमति के अनुदान द्वारा प्रत्येक मामले में सावधानीपूर्वक मूल्यांकन किया जाना चाहिए।

22. श्री सचिन पाटिल ने प्रस्तुत किया कि अपीलकर्ता को उच्च न्यायालय द्वारा 19 मई 2020 के अपने आदेश द्वारा आठ सप्ताह की अवधि के लिए अस्थायी जमानत दी गई थी, और अपीलकर्ता ने न तो जमानत दी है और न ही उसने आठ सप्ताह की अवधि समाप्त होने के बाद आत्मसमर्पण किया है। 23. जहाँ तक प्रतिभूतियों को प्रस्तुत करने का संबंध है, श्री झा ने निर्देशों पर कहा कि उच्च न्यायालय के निर्देशों का पालन किया गया है। अपीलार्थी के समर्पण के संबंध में, न्यायालय को इस तथ्य से अवगत कराया गया है कि कोविड-19 के प्रकोप के कारण हुए लॉकडाउन के परिणामस्वरूप, न्यायिक पक्ष में उच्च न्यायालय ने 26 मार्च 2020,15 अप्रैल 2020 और 15 जून 2020 को अपने अंतरिम आदेशों को बढ़ाने के लिए लगातार आदेश जारी किए। इस बीच, अपनी ईमानदारी स्थापित करने के लिए, अपीलार्थी कहता है कि उसने लगातार उच्च न्यायालय का रुख किया था

जल्दी सुनवाई के लिए अभ्यास, जबकि संशोधन के लिए एक आई. ए. की स्थापना

19 मई 2020 को लगाई गई शर्तें और अंततः, इस न्यायालय के निर्देश पर ही उच्च न्यायालय ने विवादित आदेश पारित किया। 24. विवाद की उत्पत्ति के साथ-साथ इस मुद्दे को ध्यान में रखते हुए कि क्या अपीलार्थी के न्याय से भागने की संभावना है यदि उसे अमेरिका की यात्रा करने की अनुमति दी जाती है, तो हम पिछले के आधार पर पाते हैं।

13 2020 की रिट याचिका तत्काल 2 परवेज नॉरडीन लोखंडवाला बनाम।

महाराष्ट्र राज्य और ए. एन. आर. [डॉ. धनंजय वाई चंद्रचूड़, जे।]

अपीलार्थी का अभिलेख, कि उसे उस अनुमति से वंचित करने का कोई कारण या औचित्य नहीं है जो आठ सप्ताह के लिए अमेरिका की यात्रा करने के लिए मांगी गई है। अपीलार्थी भारतीय नागरिक है और उसके पास भारतीय पासपोर्ट है। हालांकि यह सच है कि अपीलार्थी के खिलाफ एक एफ. आई. आर. दर्ज की गई है, हमारे विचार में, उसे अपने आप में अमेरिका की यात्रा करने से नहीं रोकना चाहिए, जहां वह 1985 से निवासी है, विशेष रूप से जब यह उच्च न्यायालय और इस न्यायालय के ध्यान में लाया गया है कि गंभीर परिणाम सामने आएंगे। ग्रीन कार्ड के अमान्य होने के संदर्भ में यदि अपीलार्थी को यात्रा करने की अनुमति नहीं थी। अभिलेख अपीलार्थी के परिवार और शिकायतकर्ता के बीच बड़ी मात्रा में मुकदमेबाजी का संकेत देता है। इसके बावजूद या शायद इसके कारण, अपीलार्थी ने शिकायत और एफ़. आई. आर. दर्ज करने के बाद भी अक्सर अमेरिका और भारत के बीच यात्रा की है। तदनुसार हमारा विचार है कि संशोधन के लिए आवेदन को उच्च न्यायालय द्वारा गलत तरीके से खारिज कर दिया गया था और अपीलार्थी को आठ सप्ताह की अवधि के लिए अमेरिका की यात्रा करने की अनुमति दी जानी चाहिए थी। हम तदनुसार अपीलार्थी को ऐसा करने की अनुमति देते हैं, बशर्ते वह यात्रा की तारीख से पहले इस न्यायालय को एक वचन दे कि वह आठ सप्ताह की अवधि समाप्त होने के बाद भारत लौट आएगा और वह आपराधिक क्षेत्राधिकार के न्यायालय के समक्ष सुनवाई की सभी तिथियों पर उपलब्ध होगा, जब तक कि व्यक्तिगत उपस्थिति से विशेष रूप से छूट न दी जाए। उपक्रम

अपीलार्थी द्वारा यात्रा करने से पहले इस न्यायालय में दायर किया जाएगा। आठ सप्ताह के बाद अपीलार्थी के लौटने पर और यदि उसके लिए अमेरिका की यात्रा करना आवश्यक हो जाता है, तो अपीलार्थी यात्रा की अनुमति के लिए संबंधित न्यायालय में आवेदन करेगा और ऐसे किसी भी आवेदन पर सक्षम न्यायालय द्वारा अपने गुण-दोष के आधार पर विचार किया जाएगा। अपीलार्थी केवल अनुमति देने पर और लगाई गई शर्तों के अधीन यात्रा करेगा। अपीलार्थी का पासपोर्ट सुविधा के लिए अपीलार्थी को सौंप दिया जाएगा।

उसकी यात्रा, इस शर्त के अधीन कि वह अपनी वापसी पर तुरंत जांच अधिकारी के पास इसे जमा करेगा। 25. तदनुसार, 23 जुलाई 2020 के उच्च न्यायालय के आदेश को दरकिनार कर दिया जाएगा और उपरोक्त निर्देशों के संदर्भ में अपील का निपटारा किया जाएगा।

अपी

ल का निपटारा किया गया।

दिव्या पांडे